राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/माद/पार्ट–I/2010 जयपुर, दिनांक :

22 NOV 2010

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान
समस्त राजस्थान।

विषयः– जल उपभोक्ता संगम के माध्यम से नहरों के रख–रखाव के कार्य महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कराये जाने बाबत।

सदर्भः– विभागीय पूर्व पत्रांक एफ4(5)ग्रावि/ग्रुप–3/नरेगा/08 दिनांक 30.04.2009

महोदय,

उक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा निष्पादित कार्यों को जल उपभोक्ता संगम के माध्यम से कराये जाने की सहमति प्रदान की गयी थी (प्रति संलग्न)। इस संबन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य के समस्त जिलों में जहाँ भी जल उपभोक्ता संगम का गठन किया गया है, में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत नहरों के रख–रखाव के कार्य जल उपभोक्ता संगम के माध्यम से कराये जा सकते है। ये जल उपभोक्ता संगम जल संसाधन विभाग की देख–रेख में कार्यों को सम्पादित करायेगें तथा जल उपभोक्ता संगम द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के पर्यवेक्षण, प्रबोधन एवं समयबद्व तरीके से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी जल संसाधन विभाग की रहेगी।

भवदीय

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(सी.एस.राजन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग को उनके पत्रांक प–7(15) ओएसडी/जसं/2010 दिनांक 07.10.2010 एवं प–7(73)/ओएसडी/जसं/95–III दिनांक 19.11.2010 के सदंर्भ में।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम एवं द्वितीय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान समस्त।
3. ब्लाक कॉर्डिनेटर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान समस्त।
4. विकास अधिकारी एवं पदेन कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान समस्त।
5. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे.एवं उपसचिव, ईजीएस

5)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)

क्रमांक एफ 4(5)ग्रावि/ग्रुप-3/नरेगा/08 जयपुर, दिनांक : 30 APR 2009

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कियान्वयन में कार्यकारी संस्था के मनोनयन बाबत।

महोदय,

प्रमुख शासन सचिव, सिंचित क्षेत्र विकास विभाग (सीएडी) ने अवगत कराया है कि चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्ध में कृषकों की सहभागिता अधिनियम 2000 एवं नियम 2002 के तहत गठित "जल उपभोक्ता संगम" के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत कार्यो का निष्पादन कराया जावे।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत सिंचित क्षेत्र विकास विभाग (सीएडी) द्वारा निष्पादित कार्यों को "जल उपभोक्ता संगम" के माध्यम से कराये जाने की सहमति प्रदान की जाती है। जल उपभोक्ता संगम द्वारा योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो का निष्पादन कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जारी मस्टररोल्स पर जॉब कार्डधारी श्रमिकों का नियोजन करते हुए किया जावेगा। जल उपभोक्ता संगम द्वारा निष्पादित कार्यो के लिए श्रमिकों की उपलब्धता हेतु मांग सम्बन्धित ग्राम पंचायत को निर्धारित प्रकिया के अनुसार प्रस्तुत की जावेगी एवं ग्राम पंचायत द्वारा श्रमिकों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए श्रमिकों की उपलब्धता सिंचित क्षेत्र विकास कार्यो के लिए उपरोक्तानुसार सुनिश्चित की जावेगी। नियोजित श्रमिकों को निर्धारित टास्क की पूर्ति सुनिश्चित कराने का दायित्व जल उपभोक्ता संगम का होगा एवं श्रमिकों को भुगतान पोस्ट ऑफिस/ बैंक के खुले खातों के माध्यम से निर्धारित प्रकिया के अनुसार ही किया जावेगा। कार्यो का निरीक्षण एवं उनकी गुणवत्ता सिंचित क्षेत्र विकास विभाग (सीएडी) द्वारा सुनिश्चित की जावेगी। साथ ही श्रमिकों का भुगतान समय पर हो, सुनिश्चित किया जावेगा।

उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

भवदीय,

(जी. एस. संधु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित हैः-
1. प्रमुख शासन सचिव, सिंचित क्षेत्र विकास विभाग (सीएडी)।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक(नरेगा), समस्त राजस्थान।
3. रक्षित पत्रावली।

परि. निदे. एवं उप सचिव(ग्रारो)

MS Word File\III FASE DISTRICT.doc